

व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा है. में।

“जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड” द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी—छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया—कुई, बैरख—नेवराटोला, कुई—महुली, चिल्फी—तरमा, तरमा—सहसपुर लोहारा, खाड़ी—दमोह, लाखाटोला— पालक, मोहगांव—बोटेसुर, दरई—पिपरखुटा, तरेगांव—बरहापानी, कुई—नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ—वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.658 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 2.985 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.391 हेक्टेयर कुल 5.034 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के 5 स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 3.056हेक्टेयर है।

वनमंडलाधिकारी
Divisional Forest Officer
कर्मचारी वनमंडल, कवर्धा